न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 32/2022

1. अमीलाल पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
2. हरिसिहं पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

–अपीलान्ट

बनाम

1. भरपाई पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
2. राजपाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
3. राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4. सन्तोष पुत्री हनुमान पत्नि सुरेन्द्र मुड़नपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झूझुनू।
5. तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. भरत कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भगवान, तहसील नोहर।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2,3

श्री रविन्द्र गोदारा रेस्पोडेन्ट संख्या–6

निर्णय   दिनांकः– 26/11/2025

अपीलांट अमीलाल, हरिसिंह पुत्रगण बालूराम जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू जरिये [illegible] हरिसिंह जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला द्वारा अपील [illegible]हत [illegible]लत तहसीलदार राजस्व नोहर के निर्णय इन्तकाल सं. 921 [illegible] 19.03.2020 [illegible] किया व निर्णय पारित किया को अपास्त करने बाबत अपील पेश की ग[illegible] जिसके संक्षेप में तथ्य [illegible]कार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. अपीलान्ट के पिता की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चौनपुरा तहसील नोहर के ख.नं. 366/1 की 7.2960 हैक्टर भूमि थी इसके अलावा कृषि भूमि ग्राम बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू में भी थी।

2. रेस्पोडेन्टस सं. 1 के पति व रेस्पोडेन्टस सं. 2ता 4 के पिता हनुमान अपने पिता स्वं. बालुराम के जीवन काल में दिांक 16.04.1970 को अपने ताउ गोरधन के खोला चला गया तथा गोरधन की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पति का उतराधिकारी खोलायत पुत्र हनुमान ने अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा लिया किन्तु रोही मैजा चैनपुरा में स्वं. बालुराम की भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाया उससे पूर्व वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.1984 को श्रीमान तहसीलदार नोहर के समक्ष भी किया था तथा नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया था किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र को नजर अन्दाज करते हुए दिनांक 13.02.1985 को अपीलान्ट के साथ वारिसों को बिना जाँच किये ही हनुमान का नाम नामान्तरण कर दिया जबकि हनुमान गोरधन का दतक पुत्र था।

3. गलत व फर्जी नामान्तरण के आधार पर हनुमान मृतक ने अपने राजस्व रिकार्ड दर्ज करवा लिया किन्तु मौका पर कभी हनुमान नही आया तथा वादीगण का हिस्सा ही मानता रहा व गलत नाम दर्ज को हटावाने का कहता रहा किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 4 के मन में बईमानी आ गयी इस पर अपीलान्ट ने न्यायालय एस.डी.ओ. नोहर में एक दावा व दरख्वास्त धारा 212 आर. टी. एक्ट अमीलाल बनाम भरपाई पेश कर दिनांक 05.02.2019 को स्थगन आदेश जारी अपीलान्ट के पक्ष में जारी कर दिया तथा रेस्पो. को वकील दिनांक 21.05.2019 को हाजिर आये अर्थात रेस्पोडेन्टस को स्थगन आदेश का ज्ञान हो चुका था तथा बाद सुनवाई के दिनांक 13.07.2021 को अस्थायी निषेधाज्ञा का अन्तिम निर्णय भी हो चुका है।

4. वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के जारी रहते हुऐ रेस्पो. ने दिनांक 19.03.2021 को मातहत अदालत तहसीलदार नोहर से अपीलकृत आदेश इन्तकाल सं. 921 दिनांक 19.03.2021 तस्दीक करवा लिया, जो विधि विरुद्ध एक पक्षीय बिना सुनवाई के पारित निर्णय है, जो निम्न आधारों पर अपील योग्य है।

5. अपीलकृत आदेश विधि विरुद्ध है तथा एक पक्षीय बिना सहखातेदारो को नोटिस दिये ही पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है।

(क) मातहत अदालत का अपीलकृत आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(ख) नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व मातहत अदालत को पूर्व जाँच करनी चाहिए थी कि भूमि का कोई विवाद या स्थगन है या नही, जो जाँच नही, की इसी आधार पर अपास्त योग्य है।

(ग) जब वाद भूमि में हनुमान मृतक का कोई हक व हिस्सा है, ही नही तो विरास्तन इन्तकाल दर्ज करना विधि विरूद्ध है, जब हनुमान का जमाबन्दी से नाम हटाने का दावा अपीलान्ट ने कर रखा है जिसका ज्ञान मातहत अदालत व रेस्पो. को है तो विधि विरूद्व निर्णय पारित करना न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्व है।

(घ) मातहत अदालत व हल्का पटवारी के पास पूर्व से स्थगन आदेश व विवाद की सूचना थी तो ऐसा निर्णय पारित करना जिससे विवाद बढ़ने की सम्भावना ही पारित कर विधि विरूद्व कार्य किया है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि मातहत अदालत से इन्तकाल सं. 921 दिनांक 19.03.2020 तलब फरमाया जाकर इन्तकाल सं. 921 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4 तामिल होनें बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ,4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–5 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–06 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपील अपीलांट अमीलाल, हरिसिंह की ओर से पेश की गई। रोही मौजा चैनपुरा के खसरा नं0 366/1 में 7.2960है0 भूमि नानूराम के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। नानूराम के तीन पुत्र हुए। 1. अमीलाल, 2. हरिसिंह 3. हड़मान। हड़मान पुत्र नानूराम अपने ताउ के खोले दिनांक 16.04.1970 को चला गया। खोला जाने के बाद ताउ गोर्वधन की भूमि अपने नाम करवा ली। नानूराम के फौत होनें के बाद दो वारिस होनें चाहिए थे लेकिन सरपंच द्वारा तीनो पुत्रों को वारिस मानकर विरासतन नामान्तरण दर्ज कर दिया। हड़मान पुत्र नानूराम के फौत होनें [illegible] उनके वारिसों के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दी गई। दिनांक 05.02.2019 को [illegible] हनुमान के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में दावा पेश किया गया कि दतक पुत्र/खोलायत पुत्र का विरासतन भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 05.02.2019 को स्थगन आदेश जारी किया गया। जिसका जवाब प्रार्थना–पत्र द्वारा पेश किया गया अर्थात अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट को स्थगन आदेश का ज्ञान था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के स्थगन आदेश जारी होनें के बाद भी अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करवाया गया। स्थगन आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में प्रस्तुत की गई। अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा खारिज की गई। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का स्थगन आदेश जारी रहा। स्थगन आदेश एंव दावा चलनें के दौरान विरासतन नामान्तरण दर्ज किया जाना गलत है। दावा चल रहा हो तो विरासतन नामान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए भरतकुमार द्वारा ज्ञान होते हुये भी बैयनामा करवा दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। इस निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. Citation 2023 (1)DNJ (Rev.) page no. 103
2. Citation 2023 (1)DNJ (Rev.) page no. 105
3. Citation 2021 (2)DNJ (Rev.) page no. 1245
4. Citation 2023 (1)DNJ (Rev.) page no. 515
5. Citation 2024 (2)DNJ (Rev.) page no. 833 to 836

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील म्याद बाहर है। अपील 4 माह बाद पेश की गई। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में वर्ष 2019 से दावा जैरकार है। कोई व्यक्ति 25 वर्ष उम्र में खोलायत/दतक नहीं जा सकता है। पैतृक संपति में हिस्सा सही दिया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 खरीददार है। भूमि पर वर्तमान में काबिज हुँ। हम हितबद्ध पक्षकार है। न्यायालय में अपील पेश करनें में देरी की गई है। अतः अपील खारिज योग्य है। वर्ष 1985 में तस्दीक गोदनामा को आज तक शुन्य नहीं करवाया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में वर्ष 2019 से जैरकार दावा का निर्णय होनें पर अपील का कोई औचित्य नहीं है। अपील वर्ष 1986 के मूल विरासतन नामान्तरण की करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली एंव न्यायालय की पत्रावली अध्ययन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 95/2019 अनवान अमीलाल आदि बनाम भरपाई आदि में दिनांक 27.10.2025 को निर्णय पारित कर रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 2/3 खसरा नं0 366/1 की 7.2960हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी भरतकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण अमीलाल, [illegible] खातेदार घोषित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 2/3 खसरा नं0 366/1 की 7.2960हैक्टेयर भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या–06 भरतकुमार का नाम कलमजन कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा नामान्तरण संख्या–921 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

19.03.2020 को चुनौति दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 921 दिनांक 19.03.2020 हनुमान पुत्र बालूराम के फौत होनें पर उनके वारिसान के नाम से दर्ज करने के दौरान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 05.02.2019 को जारी स्थगन आदेश प्रभावी था एंव दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आ.टी.ए. जैरकार था।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है अतः न्यायालय के मत में नामान्तरण संख्या 921 दिनांक 19.03.2020 को तस्दीक करनें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 921 दिनांक 19.03.2020 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 26/11/25 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested